1·6

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मासी–गैरखेत से परथोला (लिंक रुट) मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यासैण / स्याल्दे/चौखुटिया
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मासी–गैरखेत से परथोला (लिंक रुट) मोटर मार्ग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.333 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.504 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.837हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0,निर्माण खण्ड,सल्ट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील – भिक्यासैण / स्याल्दे/चौ0 की दिनांक ..09..02..2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ..रज़ा अब्बास........., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ..रज़ा अब्बास........ उपजिलाधिकारी भिक्यासैण / स्याल्दे/चौखुटिया अध्यक्ष

उपजिलाधिकारी चौखुटिया, अल्मोड़ा

2– श्री....पृथ्वीराज सिंह........ उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत सदस्य

3– श्री ..राजेन्द्र सिंह........ सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे सदस्य / सचिव

सहायक समाज कल्याण अधिकारी

4– श्री .... भुवनचन्द्र .... बी0डी0सी0 क्षेत्र ....परथोला........ सदस्य

सद० क्षेत्र पंचायत परथोला, स्या०

Scanned by CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मासी–गैरखेत से परथोला (लिंक रुट) परियोजना हेतु 0.837 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0,निर्माण खण्ड,सल्ट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत मासी–गैरखेत से परथोला (लिंक रुट) परियोजना के निर्माण हेतु 0.837 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0,निर्माण खण्ड,सल्ट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिक्यासैण/स्याल्दे/चौखुटिया
जनपद– अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिक्यासैण/स्याल्दे/चौखुटिया
जनपद– अल्मोड़ा

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 के अन्तर्गत में आदिकालीन जनजाति समूह निवास नही करते हैं, और न भूमि प्रभावित हो रही है।

समाज कल्याण अधिकारी
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

खण्ड विकास अधिकारी
स्याल्दे (अल्मोड़ा)

Scanned by CamScanner

अनापत्ति प्रमाण--पत्र

दि0 10/4/2018

सं० [7.] प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मासी--गैरखेत मोटर मार्ग से परथोला मोटर मार्ग के समरेखन में ग्रामसभा कनौणी के कास्तकार व निवासियों को अपनी आने वाली नाप भूमि देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा समरेखन प्रस्ताव ग्राम कनौड़ी के निवासियों की सर्वसम्मति से पारित किया जा रहा है।

ग्राम प्रधान
बिमला बिष्ट
प्रधान
ग्राम पंचायत कनौणी
न्याय पंचायत -- मासी
विकास खण्ड चौखुटिया

(महेश लाल वर्मा)
पूर्व जिला पंचायत सदस्य,
13-मासी (अल्मोड़ा)

1. गोपाल राम
2. बृजलाल वर्मा

नि. मधुली देवी

धनी राम

छिन्ताराम

नि. शान्ती देवी

गोपाल लाल

लाल सिंह

पुष्पा मेहरा

दान सिंह

जीवन लाल वर्मा

गोपाल प्रसाद

हरिमोहन सिंह

दुर्गा सिंह

मोहन सिंह

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट

Scanned by CamScanner

12
16

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

दि0 10/4/2018

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मारी–गैरखेत मोटर मार्ग से परथोला मोटर मार्ग के समरेखन में ग्रामसभा परथोला के कास्तकार व निवासियों को अपनी आने वाली नाप भूमि देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा समरेखन प्रस्ताव ग्राम परथोला के निवासियों की सर्वसम्मति से पारित किया जा रहा है।

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत परथोला
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

1– [illegible]
2– [illegible]
3– [illegible]
4 करन बलोदी
[illegible]
[illegible]
[illegible]
मालती देवी
सुरेन्द्र कुमार
आनन्द सिंह
हरीश सिंह
प्रीतिमा देवी
गीता देवी

सदस्य क्षेत्र पंचायत
परथोला

अनापत्ति प्रमाण-पत्र वन पंचायत

दि० 25-12-18

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मायी गैरखेत मोटर मार्ग से परथोला मोटर मार्ग के वन पंचायत परथोला के ग्रामवासियों को कोई आपत्ती नहीं है।

सरपंच
वन पंचायत परथोला
दिनांक-25-12-18

1- श्री किशोरीलाल वर्मा
2. श्रीमती गोपुली देवी
3- श्री प्रेमसिंह बंगारी
4- श्री मनीराम
5- श्रीमती मालती देवी
6- श्रीमती मोहनी देवी

किशोरीलाल
गोपुली देवी
प्रेमसिंह
मनीराम
मालती देवी

नि: मोहनी देवी

Scanned by CamScanner

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-Almora

No--- Dated--18/02/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.837 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Department Uttrakhand (P.M.G.S.Y Division,P.W.D. Salt,Almora) for Construction of **Masi gairkhet to Parthola Motor Road** in Almora district falls within jurisdiction of **Parthola** village (s) in Syaldey tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0.837</u> hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature
जिला अधिकारी

(District Collector)

Scanned by CamScanner

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT -Almora (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Nitin Singh Bhadoriya I.A.S deputy commissioner,Almora on dated 18/02/19 at time 4:00 at .... in which application claiming rights in Jourasi Range/ area measuring **0.837 hect** for the construction of **Masi Gairkhet To Parthola Motor Road (6.00KM)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Bhikyasain /Syaldey sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Almora

Dated:...18/02/19

Deputy Commissioner cum-Chairman

जिला अधिकारी

District Level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

Scanned by CamScanner